न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 64/2022
अनवान : –

1. आकाशसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी चक 16–17 केएनएन तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 07/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 68/68 व रोही मौजा चक 17 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 81/83 व रोही मौजा चक 4 आरपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 103/103 में प्रार्थी के नाम भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादी के पिता का नाम शैतानसिंह दर्ज है जबकि वादी के पिता का सही एवं वास्तविक नाम हनुमानसिंह है जो कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, पहचान–पत्र, जनआधार कार्ड आदि में दर्ज है इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने के कारण वादी अपनी खातेदारी का सही उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है तथा वादी के पिता का सही नाम हनुमानसिंह राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। पटवार हल्का द्वारा वादी के नाम के संबंध में रिपोर्ट प्रेषित कि गई है कि वादी के पिता का नाम शैतानसिह के स्थान पर हनुमानसिंह किया जाना उचित है। सवाईसिंह पुत्र हनुमानसिंह द्वारा वादी के नाम के संबंध में शपथ पत्र पेश किया गया है जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादी के पिता का सही नाम हनुमानसिंह है जबकि राजस्व रिकार्ड में शैतानसिंह गलत दर्ज हो गया उक्त वादी भूमि में नाम गलत दर्ज होने से वादी को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और वादी अपनी खातेदारी के विधिवत उपयोग–उपभोग से वंचित है। वादी के सभी दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, पहचान–पत्र, जनआधार कार्ड आदि में वादी के पिता का नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:50:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हनुमानसिंह है। अतः मुताबिक वादी के सभी दस्तावेजों के आधार पर वादी का सही नाम हनुमानसिंह राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 68/68 व रोही मौजा चक 17 केएनएन तहसील नेाहर के खाता संख्या 81/83 व रोही मौजा चक 4 आरपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 103/103 में प्रार्थी के नाम भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त वाद भूमि में वादी अपने पिता का नाम शैतानसिंह के स्थान पर हनुमानसिंह दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, मतदाता पहचना पत्र, जनआधार कार्ड आदि में वादी का नाम हनुमानसिंह अंकित है। पटवारी द्वारा भी वादी के पिता का नाम सही करने हेतु अभिंशंषा की गई है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य है।

अतः वादी द्वारा साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 68/68 व रोही मौजा चक 17 केएनएन तहसील नेाहर के खाता संख्या 81/83 व रोही मौजा चक 4 आरपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 103/103 में प्रार्थी के नाम भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादी का नाम आकाशसिंह पुत्र शैतानसिंह के स्थान पर आकाशसिंह पुत्र हनुमानसिंह के अंकन किये जाने कि घोषणा की जाती है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच आकाशसिंह पुत्र शैतानसिह के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का आकाशसिंह पुत्र शैतानसिह के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम आकाशसिंह पुत्र शैतानसिह ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07/06/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकरा दाखिल दफ्तर हों ।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:50:11 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 64 / 2022
अनवान : –

1. आकाशसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी चक 16–17 केएनएन तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 64 सन 2022 निर्णय दिनांक –07/06/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 68 / 68 व रोही मौजा चक 17 केएनएन तहसील नेाहर के खाता संख्या 81 / 83 व रोही मौजा चक 4 आरपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 103 / 103 में प्रार्थी के नाम भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादी का नाम आकाशसिंह पुत्र शैतानसिंह के स्थान पर आकाशसिंह पुत्र हनुमानसिंह के अंकन किये जाने कि घोषणा की जाती है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच आकाशसिंह पुत्र शैतानसिह के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का आकाशसिंह पुत्र शैतानसिह के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम आकाशसिंह पुत्र शैतानसिह ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/06/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी कि गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:30:11 IST
Reason: SelfAttested